पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 ई0 (अग्रहायण 20, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–50

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	645–674	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	803–806	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	423–424	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–04

अधिसूचना

03 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 1027/XX-4/2021–05(01)/2016–राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) 1973 की धारा–11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, रूद्रपुर, जनपद उधमसिंहनगर में पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट–I, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर को विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

02 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 1158/XXXI(1)/2021/पदो0–01/2021–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) श्री अजय पाल सिंह

(2) श्री विजेन्द्र सिंह

2–उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–394 (एस0बी)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–उक्त पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

5–उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

08 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 08/नो0ई0/XXXVI-A-1/2021–09 नो0ई0/2010–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री जय प्रकाश चन्द, अधिवक्ता को दिनांक 08–11–2021 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिये तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री जय प्रकाश चन्द का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 08/No-E/XXXVI-A-1/2021-09 No.-E/2010** Dated November 08, 2021 for general information.

NOTIFICATION

Appointment

November 08, 2021

No. 08/No-E/XXXVI-A-1/2021-09 No.-E/2010--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Jay Prakash Chand, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-11-2021 for Tehsil Devprayag, District Tehri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Jay Prakash Chand be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

08 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 17/नो0एम0/XXXVI-A-1/2021–15 नो0एम0/2004–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री पूरन चन्द्र, अधिवक्ता को दिनांक 08–11–2021 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री पूरन चन्द्र का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

रंजेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 17/No-M/XXXVI-A-1/2021-15 No.-M/2004** Dated November 08, 2021.

NOTIFICATION

Appointment

November 08, 2021

No. 17/No-M/XXXVI-A-1/2021-15 No.-M/2004--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Puran Chandra, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08-11-2021 for Tehsil Kichha, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr.Puran Chandra be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

RAJENDRA SINGH,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

28 जुलाई, 2021 ई0

संख्या 657 / XXXI(4)/2021-06(विविध) / 2015-III–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ निजी सचिव वेतनमान रू0 67700–208700 पे–मैट्रिक्स लेवल–11 को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान रू0 78800–209200 पे–मैट्रिक्स लेवल–12 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. श्री कैलाश चन्द्र तिवारी
2. श्री अच्युत प्रसाद वाजपेयी
3. श्री विपिन चन्द्र जोशी
4. श्री राजेन्द्र सिंह राणा
5. श्री भरत सिंह रावत

2–उक्त कार्मिकों को पदोन्नति के फलस्वरूप प्रमुख निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3–उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

4–उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–191 / 2019 एवं रिट याचिका संख्या–316 / 2020 में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

5–संबंधित कार्मिकों की उपरोक्तानुसार पदोन्नति श्री लाल सिंह नागरकोटी, निजी सचिव (तदर्थ) के प्रकरण में मा0 सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

6–उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते है तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित / परमार्जित किया जायेगा।

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल,

सचिव।

निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड

प्रभार प्रमाण–पत्र

03 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 238/नि0वि0ले0/अधि0–1(6)/का0भा0/2015–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–6 की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 45/XXVII(6)–115/एक/2005/2021 दिनांक 18 जनवरी, 2021 के अनुपालन में दिनांक 31 अगस्त, 2021 को अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्ति के क्रम में निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 31–08–2021 के अपराह्न में हस्तान्तरित किया।

(X)
मोचक अधिकारी।

भूपेश चन्द्र तिवारी,
निदेशक,
मुक्त अधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षरित।

सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

नियुक्ति

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 865/XXVIII(5)/2021–08(मे0का0)/2019–उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानों के अधीन प्रतीक्षा सूची में प्रवीणता के आधार पर (Meritwise) चयनित अभ्यर्थी डॉ0 दीपा हटवाल को ब्लड बैंक विभाग के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–15 वेतन ₹ 1,44,200–2,18,200 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें। योगदान दिये जाने के पश्चात अभ्यर्थी के समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा।

(2) उक्त चयनित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जॉच भी सम्बन्धित शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाय। अभ्यर्थी की सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को

उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगें। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगें।

(4) उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 02 सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें। इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से संबधित वांछित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

i. स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

ii. उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां।

iii. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण–पत्र।

iv. गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

v. चंल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

vi. लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नही होंगे।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

viii. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण।

2– चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

3— चयनित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली—2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4— सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण—पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के प्रमाण—पत्र का मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण—पत्रों की दो—दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय।

5— चयनित अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली—2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होंगी।

अधिसूचना

नियुक्ति

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 866/XXVIII(5)/2021—08(मे0का0)/2019—उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानों के अधीन प्रतीक्षा सूची में प्रवीणता के आधार पर (Meritwise) चयनित अभ्यर्थी डॉ0 संतोष कुमार को साइकेट्री विभाग के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल—15 वेतन ₹ 1,44,200—2,18,200 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें। योगदान दिये जाने के पश्चात अभ्यर्थी के समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा।

(2) उक्त चयनित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जॉच भी सम्बन्धित शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाय। अभ्यर्थी की सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगें। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगें।

(4) उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय—समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 02 सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें। इस अवधि के भीतर वे अपनें तैनाती से संबधित वांछित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

i. स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

ii. उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां।

iii. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण–पत्र।

iv. गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

v. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

vi. लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नही होंगे।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

viii. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण।

2– चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

3– चयनित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4– सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण–पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के प्रमाण–पत्र का मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय।

5– चयनित अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखंण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होंगी।

अधिसूचना

नियुक्ति

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 867/XXVIII(5)/2021–08(मे0का0)/2019–उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानों के अधीन प्रतीक्षा सूची में प्रवीणता के आधार पर (Meritwise) चयनित अभ्यर्थी डॉ0 हरीश चतुर्वेदी को एनाटॉमी विभाग के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–15 वेतन ₹ 1,44,200–2,18,200 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें। योगदान दिये जाने के पश्चात अभ्यर्थी के समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा।

(2) उक्त चयनित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जॉच भी सम्बन्धित शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाय। अभ्यर्थी की सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगें। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगें।

(4) उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 02 सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें। इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से संबधित वांछित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

i. स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

ii. उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां।

iii. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण–पत्र।

iv. गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

v. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

vi. लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नही होंगे।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

viii. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण।

2– चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

3– चयनित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4– सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण–पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के प्रमाण–पत्र का मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय।

5– चयनित अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होंगी।

अधिसूचना
नियुक्ति

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 868/XXVIII(5)/2021–08(मे0का0)/2019–उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानों के अधीन प्रतीक्षा सूची में प्रवीणता के आधार पर (Meritwise) चयनित अभ्यर्थी डॉ0 कुमार पराग को एनेस्थिसियोलॉजी विभाग के अन्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 'क' वेतन ₹ 1,31,100–2,16,600 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें। योगदान दिये जाने के पश्चात अभ्यर्थी के समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा।

(2) उक्त चयनित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जॉच भी सम्बन्धित शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाय। अभ्यर्थी की सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगें। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगें।

(4) उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 02 सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें। इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से संबधित वांछित सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

i. स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

ii. उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां।

iii. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

iv. गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

v. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

vi. लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नही होंगे।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

viii. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण।

2– चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

3– चयनित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4– सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण–पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के प्रमाण–पत्र का मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय।

5– यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–152/2020 विकास सिकरवार बनाम प्रमुख सचिव एवं अन्य, रिट याचिका संख्या–106/2020 डॉ0 देश दीपक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–418/2020 डॉ0 शेखर पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–108/2020 डॉ0 शेखर पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

6– चयनित अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होंगी।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1

पदोन्नति/तैनाती

13 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 860/XIII-1/2021–3(15)2005–कृषि विभाग, उत्तराखण्ड में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 (अभियंत्रण शाखा) में प्रोन्नति के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित/उपान्तरित आदेश 2002) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर अधोलिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से कृषि सेवा श्रेणी–2 (अभियंत्रण शाखा) में चयन वर्ष 2020–21 की रिक्त के सापेक्ष वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/ पुनरीक्षित वेतनमान–56100–177500 (लेवल–10) में नियमित पदोन्नति करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पदनाम/तैनाती स्थल	प्रोन्नति उपरान्त पदनाम/तैनाती स्थल
1.	श्री प्रमोद कुमार सैनी	प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट।	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट।
2.	श्री ओमपाल	अपर सहायक अभियंता, कृषि निदेशालय, देहरादून।	सहायक निदेशक, (अभियंत्रण) कृषि निदेशालय।
3.	श्री ओम प्रकाश साहू	अपर सहायक अभियंता, कार्यालय कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली, पौड़ी।	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी।

2— उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद व नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल संबंधित मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय तथा कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के कार्यालय में योगदान कर कार्यभार प्रमाणक कृषि निदेशक एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02

अधिसूचना

14 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 1450/II(02)/2021–12/1(06)/2012–राज्यपाल, टिहरी जलाशय की परिधि पर आर0एल0 835 मी0 से ऊपर स्थित कुछ ग्रामों में जल भराव के कारण भू–स्खलन के दृष्टिगत तथा भविष्य में इससे अधिक स्थानों पर भू–स्खलन होने की सम्भावना के मध्यनजर इन ग्रामों के प्रभावित परिवारों को पुर्नवासित किये जाने हेतु दिनांक 14 जनवरी, 2013 को प्रख्यापित सम्पार्श्विक क्षति नीति–2013 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

सम्पार्श्विक क्षति (संशोधन) नीति–2021

संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ 1 (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम सम्पार्श्विक क्षति (संशोधन) नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

प्रस्तर–1 का संशोधन 2 सम्पार्श्विक क्षति नीति–2013 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–अ सामान्य–2 एवं उपप्रस्तर–ब प्रतिकर–1 में दिये गये प्रावधान के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्राविधान रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
अ) सामान्य–2. विशेषज्ञ समिति, जो कि एक स्थायी समिति के रूप में बनायी जायेगी, में निम्नलिखित विभागों के अधिकारी सम्मिलित होंगे तथा समिति यह सत्यापित करेगी कि क्षति जलाशय में जल भराव–उतार के कारण हुई है अथवा वर्षा/प्राकृतिक आपदा से। 1–भारतीय भू–सर्वेक्षण विभाग का प्रतिनिधि। 2–प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि। 3–केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि। 4–भूगर्भीय एवं खनन विभाग का प्रतिनिधि। 5–भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रतिनिधि। 6–आई0आई0टी0 रूडकी का प्रतिनिधि। 7–उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र का प्रतिनिधि। 8–पुनर्वास निदेशक का प्रतिनिधि (सदस्य सचिव) 9–टी0एच0डी0सी0इं0लि0 का प्रतिनिधि। 10–सम्बन्धित क्षेत्र के मा0 विधायक।	अ) सामान्य–2. विशेषज्ञ समिति, जो कि एक स्थायी समिति के रूप में बनायी जायेगी, में निम्नलिखित विभागों के अधिकारी सम्मिलित होंगे तथा समिति यह सत्यापित करेगी कि क्षति जलाशय में जल भराव–उतार के कारण हुई है अथवा वर्षा/ प्राकृतिक आपदा से। 1–भारतीय भू–सर्वेक्षण के एक प्रतिनिधि। 2–प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड के एक प्रतिनिधि। 3–केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान के एक प्रतिनिधि। 4–भूगर्भीय एवं खनन विभाग के एक प्रतिनिधि। 5–भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक प्रतिनिधि। 6–आई0आई0टी0 रूडकी के एक प्रतिनिधि। 7–उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के एक प्रतिनिधि। 8–पुनर्वास निदेशक के एक प्रतिनिधि (सदस्य सचिव) 9–टी0एच0डी0सी0इं0लि0 के एक प्रतिनिधि।
(ब) प्रतिकर भूमि यदि भूमि की क्षति सम्पूर्ण भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक है तथा भूमि आर0एल0 835 मी0 पर अथवा आर.एल. 835 मी0 ऊपर स्थित है, तो इस स्थिति में 02 एकड़ विकसित भूमि जनपद हरिद्वार एवं देहरादून आदि स्थानों पर आंवटित की जायेगी। यदि भूमि 02 एकड़ से अधिक है, तो 02 एकड़ से अधिक भूमि का नकद प्रतिकर भुगतान किया जायेगा। क्षतिग्रस्त भूमि परियोजना के नाम दर्ज की जाएगी। यदि भूमि प्रभावित परिवारों को स्वीकार्य नहीं है, तो इस स्थिति में	**(ब) प्रतिकर भूमि** यदि भूमि की क्षति सम्पूर्ण भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक है तथा भूमि आर0एल0 835 मी0 पर अथवा आर0एल0 835 मी0 से ऊपर स्थित है, तो इस स्थिति में 02 एकड़ तक भूमि के बदले ग्राम रौलाकोट को छोड़कर अन्य सभी प्रभावित परिवारों को नकद प्रतिकर रू0 74.40 लाख प्रति परिवार तथा यदि भूमि 02 एकड़ से अधिक है, तो 02 एकड़ से अधिक भूमि का नकद प्रतिकर भुगतान किया जायेगा।

सरकार द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार नकद प्रतिकर भुगतान किया जाएगा। पात्रता मानक के अनुसार केवल वही परिवार पात्र होंगे, जिनकी भूमि उनके नाम दिनांक 26.04.2007 से पहले दर्ज हो एवं प्रभावित भूमि कूल भूमि का 50 प्रतिशत से अधिक हो। यदि क्षतिग्रस्त भूमि आर.एल. 835 मी0 से नीचे की सम्पूर्ण भूमि को सम्मिलित करते हुए 50 प्रतिशत से कम है, तो इस दशा में पुनर्वास की आवश्यकता नहीं होगी। केवल नकद प्रतिकर का भुगतान वर्तमान में प्रचलित स्वीकृत दर के अनुसार किया जाएगा।	क्षतिग्रस्त भूमि परियोजना के नाम दर्ज की जाएगी। पात्रता मानक के अनुसार केवल वही परिवार पात्र होंगे, जिनकी भूमि उनके नाम दिनांक 26.04.2007 से पहले दर्ज हो एवं प्रभावित भूमि कूल भूमि का 50 प्रतिशत से अधिक हो। यदि क्षतिग्रस्त भूमि आर.एल. 835 मी0 से नीचे की सम्पूर्ण भूमि को सम्मिलित करते हुए 50 प्रतिशत से कम है, तो इस दशा में पुनर्वास की आवश्यकता नहीं होगी। केवल नकद प्रतिकर का भुगतान वर्तमान में प्रचलित स्वीकृत दर के अनुसार किया जाएगा। यदि विस्थापित/पात्र व्यक्ति को आर.एल. 835 मी0 के नीचे/ऊपर की भूमि का प्रतिकर का भुगतान पूर्व में किया गया हो, तो उस व्यक्ति को पूर्व भुगतान की गई धनराशि, 6 प्रतिशत सामान्य वार्षिक ब्याज जोड़ते हुए कुल देय प्रतिकर की धनराशि रु0 74.40 लाख में से घटाकर किया जायेगा। सामान्य ब्याज की गणना की अवधि हेतु प्रारम्भिक तिथि 16.11.2010 एवं अंतिम तिथि 16.12.2020 होगी।

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव।

In Pursuance of the Provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor, is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1450/II(02)/2021-12/1(06)/2012** dated September 14, 2021 for General Information.

NOTIFICATION

September 14, 2021

No. 1450/II(02)/2021-12/1(06)/2012-- In view of the landslides in some villages situated above RL 835 meters on the periphery of Tehri reservoir due to water fluctuations in the reservoir and in view of the possibility of landslides at more places in future for rehabilitating the affected families of these villages, the Governor with a view to make further amendment in the Collateral Damage Policy, 2013, promulgated on 14, January 2013, is pleased to make the following Policy:-

The Collateral Damage (Amendment) Policy, 2021

Short title and Commencement

1 (1) The Policy may be called the Collateral Damage (Amendment) Policy, 2021

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Para-1

2 In the Collateral Damage Policy, 2013 for the Provisions of sub para-a General-2 and sub para-b Compensation-1 of para-1 as set out in Column-1, Provision as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Provision	**Column-2 Hereby substituted provision**
a) General-2, Expert Committee which shall be formed in the form of Permanent Committee, shall consist of the following officers and the Committee shall verify that the damage has occurred either by water filling/ depletion in reservoir or by rain/ natural disaster.	a) General-2, Expert Committee which shall be formed in the form of Permanent Committee, shall consist of the following officers and the Committee shall verify that the damage has occurred either by water filling/ depletion in reservoir or by rain/ natural disaster.
1- A Representative of Geological Survey of India.	1- A Representative of Geological Survey of India.
2- A Representative of Chief Conservator of Forest, Forest Department, Uttarakhand.	2- A Representative of Chief Conservator of Forest, Forest Department, Uttarakhand.
3- A Representative of Central Soil And Water Conservation Research and Training Institute.	3- A Representative of Central Soil And Water Conservation Research and Training Institute.
4- A Representative of Geological & Mines Department.	4- A Representative of Geological & Mines Department.
5- A Representative of Survey of India Department;	5- A Representative of Survey of India Department.

	6- A Representative of Indian Institute of Technology, Roorkee. 7- A Representative of Uttarakhand Space Application Centre. 8- A Representative of Rehabilitation Director (Member Secretary). 9- A Representative of Tehri Hydro Development Corporation India Ltd. 10- Hon'ble MLA of concerned Area	6- A Representative of Indian Institute of Technology, Roorkee. 7- A Representative of Uttarakhand Space Application Centre. 8- A Representative of Rehabilitation Director (Member Secretary). 9- A Representative of Tehri Hydro Development Corporation India Ltd.
	(b) Compensatory land If the damage of land is more than 50 percent and the land is located at RL 835 meter or above 835 meter, then 02 acres of developed land shall be allotted in District Haridwar and Dehradun etc. places. If the land is more than 02 acres, then cash compensation will be paid for the land more than 02 acres. The damaged land shall be transferred in the name of Project. If the land is not accepted by the affected families, then cash compensation shall be paid. As per Government approved rates. According to eligibility, criteria only those families shall be eligible who were having land registered in their names prior to 26.04.2007 and the affected land is more than 50 percent of the total land. If the damaged land, including the land below 835 meter, is less than 50 percent, then in this case, there shall be no need of rehabilitation. Only cash compensation as per the present prevailing rates shall be paid.	(b) Compensatory land If the damage of land is more than 50 percent of the entire holding and the land is located at RL 835 meter or above 835 meter, then in place of land except Village Raulkot, all other affected families shall be paid cash compensation at the rate Rs.74.40 lakh per family and if the land is more than 02 acres, then cash compensation will be paid for the land more than 02 acres. Damage land shall be registered in the name of project. According to eligibility, criteria only those family shall be eligible who were having land registered in their names prior to 26.04.2007 and the affected land is more than 50 percent of the entire holding. If the damaged land, including the land below R.L. 835 meter, is less than 50 percent, then no rehabilitation is required. Only cash compensation shall be paid at the prevalent approved rate.

	If the affected/eligible person has been made land compensation of land downside/ above RL 835 meters, then by adding 6% annual interest on the money earlier paid, payment shall be adjusted by deducting this amount from the compensation amount of Rs.74.40 lakh. For calculating the period of simple interest, primary date as 16.11.2010 and final date shall be 16.12.2020.

By Order,

HARICHANDRA SEMWAL,

Secretary.

कृषि एवं कृषक कल्याण–3

अधिसूचना

17 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 992/XIII-3/2021–5(21)/2021–महामहिम श्री राज्यपाल 'उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020' की धारा 7 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके घोषणा करते है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 51/XIII–3/21/12(1)/2020 दिनांकः 27 जनवरी, 2021 के क्रमांकः 10 मे उल्लिखित निरूपित मण्डी क्षेत्र टिहरी का उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 648/XIII–2/2020–01(01)/2020 टी0सी0 दिनांकः 03 सितम्बर, 2020 द्वारा विनियमित कृषि उत्पाद और पशुधन के सम्बन्ध में निम्नलिखित भाग प्रमुख मण्डी प्रांगण होगा।

ग्राम सभा–बगर पट्टी–धमान्दस्यू, तहसील नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल के खसरा संख्या 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23 एवं 24 कुल रकवा 0.2440 ह0 भूमि अर्थात् निम्नलिखित चौहद्दी का समस्त भागः–

पूरब– गधेरा एवं निजी भूमि।

पश्चिम– ग्राम बगर हेतु सम्पर्क मार्ग।

उत्तर– ग्राम बगर हेतु सम्पर्क मार्ग।

दक्षिण– खाई एवं वन क्षेत्र।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3

अधिसूचना

24 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 1038/XXVIII-3-2021-66/2010–चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य में डेंगू एवं मलेरिया होने की आशंका है; और चूंकि, राज्य सरकार यह समझती है कि इस सम्बन्ध में प्रवृत्त विधि के साधारण उपबंध इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं हैं और डेंगू नियंत्रण व रोकथाम तथा मलेरिया उन्मूलन के दृष्टिगत प्रत्येक रोगी की समय पर सूचना पंजीकृत करना अति आवश्यक है।

अतः अब राज्यपाल महामारी अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1897) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित विनियम बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

उत्तराखण्ड महामारी (मलेरिया एवं डेंगू) विनियम 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन विनियमों का सक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड महामारी (मलेरिया एवं डेंगू) विनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होंगे तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से दो वर्ष के लिए वैध होगें।

परिभाषाऐं

2. इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ मे, अन्यथा अपेक्षित न हो–

(एक) "महामारी (Epidemic Disease)" से किसी समुदाय के बडी सख्या मे लोगों के मध्य संचारी रोगों (यथा–मलेरिया व डेंगू) का कम समय में तीव्रता से फैलाव होना अभिप्रेत है।

(दो) "निष्क्रिय निगरानी केंद्र (Passive Surveillance Center)" से ऐसे केंद्र अभिप्रेत है, जिसको सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा उनको प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए निष्क्रिय निगरानी केंद्र घोषित किया गया हो, जहॉ बुखार से ग्रसित रोगी उपचार हेतु पहुँचता हो।

(तीन) "निरीक्षण अधिकारी (Inspecting Officer)" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड अथवा सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो।

(चार) "चिकित्सकीय अभ्यासकर्ता (Medical Practitioner)" से ऐसे एलोपैथिक चिकित्सक अभिप्रेत है, जो एम0बी0बी0एस0 या उसके समकक्ष अर्हता रखने के साथ–साथ उत्तराखण्ड मेडिकल काउसिल मे भी पजीकृत हो।

(पांच) "त्वरित निदान परीक्षण (Rapid Diagnostic Test - RDT)" से मलेरिया एवं डेंगू की त्वरित नैदानिक परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि अभिप्रेत है.

(छः) "आर्टिमिसिनिन संयोजन उपचार (Artemisinin Combination Therapy-ACT)" से मलेरिया प्लाजमोडियम फैल्सिपेरम से ग्रसित रोगी के उपचार हेतु प्रदान की जाने वाली दवा अभिप्रेत है।

(सात) "एलाईजा (Enzyme Linked Immunosorbent Assay- ELISA)" तकनीक से डेंगू रोग की पुष्टि हेतु प्रयुक्त होने वाली जाच की तकनीक अभिप्रेत है।

(आठ) "सेन्टीनल निगरानी अस्पताल (Sentinel Surveillance Hospital- SSH)" से भारत सरकार द्वारा अधिकृत ऐसे चिकित्सालय अभिप्रेत है, जहां पर डेंगू रोग की जांच एवं पुष्टि एलाईजा तकनीक द्वारा की जाती हो।

(नौ) "डेंगू रोगी (Dengue Case)" –

(क) सम्भावित डेंगू रोगी (Probable Dengue Case) - ऐसा रोगी जिसमें दो से सात दिन की अवधि के तीव्र ज्वर के साथ निम्न लक्षणों में से दो या दो से अधिक लक्षण हो→सिर दर्द, आंख के पीछे दर्द होना (Retro-Orbital pain) मॉस पेशियों में दर्द, जोडों में दर्द (Joints Pain), शरीर पर लाल चकत्ते, शरीर के मुँह, नाक आदि भागों से रक्त स्राव का होना या गैर एलाईजा आधारित एन एस–1 एण्टीजन (Nonstructural Protein 1- NS1)/आई जी एम (Immunoglobulins - IgM) रेपिड डायग्नोसटिक टैस्ट द्वारा डेंगू रोग का निदान होना।

(ख) पुष्टिकृत डेंगू रोगी (Confirmed Dengue Case) - एलाईजा तकनीक द्वारा पुष्टिकृत डेंगू रोगी।

(दस) "राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Vector Borne Disease Control programme - NVBDCP)" से भारत सरकार द्वारा वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम एव नियत्रण हेतु सचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम अभिप्रेत है।

3 निरीक्षण अधिकारी, जो कि अपरिहार्य कारणों से अपने समस्त या कोई एक कार्य के निष्पादन में व्यस्त है, लिखित रूप में आदेश कर किसी अधिकारी को, जो कि अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला वैक्टर जनित रोग अधिकारी के स्तर का हो, इस प्रकार के कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त किया गया अधिकारी, जहां तक इस प्रकार के कार्यों का सम्बन्ध है, इन विनियमों के अन्तर्गत एक निरीक्षण अधिकारी माना जायेगा।

4 बुखार रोग निगरानी (Fever Surveillance), उपचारं, लार्वा रोधी उपाय, कीटनाशक का छिडकाव या फॉगिंग के उद्देश्य से निरीक्षण अधिकारी किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है। वह अपनी टीम के अन्य सदस्यों को भी अपने साथ ऐसे किसी परिसर में प्रवेश के लिए अधिकृत कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझता है।

5. निरीक्षण अधिकारी सन्देह के आधार पर किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, जिससे यह पता चल सके कि वह व्यक्ति मलेरिया या डेंगू से पीड़ित है या पीड़ित हो सकता है तथा उस व्यक्ति को उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

6. इस प्रकार के निरीक्षण या परीक्षण या अन्य के परिणाम में, निरीक्षण अधिकारी को किसी कारण विश्वास या सन्देह है कि वह व्यक्ति मलेरिया या डेंगू से सक्रमित है, या हो सकता है, तो निरीक्षण अधिकारी ऐसे व्यक्ति की जांच के लिए रक्तपट्टिका बनाने/रक्त का नमूना देने तथा आमूल उपचार लेने, जो निरीक्षण अधिकारी उचित समझता हो, के लिए निर्देशित कर सकता है। संदिग्ध व्यक्ति के अवयस्क होने की अवस्था में इस प्रकार का आदेश अवयस्क के संरक्षक या अवयस्क के परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया जायेगा।

7. निरीक्षण अधिकारी किसी भी परिसर में कीटनाशक के छिड़काव या घरेलू जल संग्रहण मे उपयुक्त लार्वानाशक (Larvicide) उपचार के लिए आदेश कर सकता है।

8. सरकारी स्वास्थ्य सस्थानों के चिकित्सकों तथा निजी चिकित्सालयों/क्लीनिक्स के पंजीकृत चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि संक्रमण काल (अर्थात् माह जून से माह नवंबर तक) में प्रत्येक बुखार के रोगी को संदिग्ध मलेरिया रोगी के रूप में देखें–
   (क) सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा मलेरिया की जांच हेतु रक्त नमूने से बनाई गई रक्तपट्टिका (Blood Slide) का सूक्ष्मदर्शी (Microscope) से परीक्षण किया जाय।
   (ख) निजी चिकित्सालयों एवं प्रयोगशालाओं में मलेरिया जांच के लिए रक्तंपट्टिका (ब्लड स्लाईड) का सूक्ष्मदर्शी (Microscope) से परीक्षण करना वाँछनीय होगा। ऐसे निजी चिकित्सालय एवं प्रयोगशाला, जहां पर मलेरिया जाच के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टैस्ट का प्रयोग किया जाता है, वहा पर मलेरिया जाच एन्टीजन आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक टैस्ट द्वारा हो और साथ ही यह एन0आई0एम0आर0 नेशनल इन्स्टीटयूट आफ मलेरिया रिसर्च नई दिल्ली (NIMR) द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
   (ग) मलेरिया की जाच हेतु एन्टीजन आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक टैस्ट का उपयोग करने वाले निजी चिकित्सालय एवं प्रयोगशाला, रैपिड डायग्नोस्टिक टैस्ट की संवेदनशीलता एवं विशेषता के जिम्मेदार स्वय होंगे।
   (घ) एन्टीबॉडी आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक टैस्ट मलेरिया की पुष्टि के लिए मान्य नहीं है।

9. मलेरिया पुष्टिकृत रोगी की सूचना जांच के तुरन्त बाद अनिवार्यतः निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में देनी होगी। मलेरिया पुष्टिकृत रोगी की रक्तपट्टिका भी 07 दिन के अन्दर सम्बन्धित जनपद के जिला वैक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी को देनी होगी।

10. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों तथा निजी चिकित्सालयों/क्लीनिक्स के पजीकृत चिकित्सकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मलेरिया जाच के उपरान्त पुष्टिकृत रोगी का पूर्ण आमूल उपचार भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मलेरिया ड्रग पॉलिसी के अनुसार क्लोरोक्वीन/आर्टिमिसिनिन काम्बिनेशन थेरेपी एव प्राईमाक्वीन से किया जाये।
   (क) भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार, मलेरिया के उपचार के लिए केवल, आर्टिमिसिनिन का उपयोग नहीं किया जाये। फैल्सीपेरम मलेरिया के उपचार के लिए आर्टिमिसिनिन का उपयोग संयुक्त रुप से किया जाये।

11. सरकारी स्वास्थ्य सस्थानों में चिकित्सकों तथा निजी चिकित्सालयों/क्लीनिक्स के पजीकृत चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि यदि उनके संस्थान में कोई सदिग्ध डेंगू रोगी हो तो वह उसकी जानकारी सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला वैक्टर जनित रोग नियत्रण अधिकारी को अविलम्ब रूप से उपलब्ध कराएँ।

12. सभी संदिग्ध डेंगू रोगियों के रक्त नमूनों को एलाईजा तकनीक द्वारा जॉच हेतु सम्बन्धित जिले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में स्थापित सेन्टीनल सर्विलेन्स हास्पिटल में भेजा जाये।
   (एक) यदि बुखार की अवधि 5 दिन से कम है, तो डेंगू के सदिग्ध रोगी की जाच NS1 एन्टीजन एलाईजा तकनीक से की जाये।
   (दो) यदि बुखार की अवधि 05 दिन से अधिक है, तो डेंगू के संदिग्ध रोगी की जांच IgM Mac एन्टीबॉडी एलाईजा तकनीक से की जाये।
   (तीन) भारत सरकार के राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली के पत्राक DO 7-71/2014-15/NVBDCP/DEN/General/P-1 दिनांक 23 सितम्बर 2015 द्वारा निर्देशित किया गया है कि कम संवेदनशीलता तथा विशेषता (Low Senstivity and Specifity) के कारण रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा डेंगू रोग की पुष्टि मान्य

नहीं है।

(चार) किसी सदिग्ध डेंगू रोगी को एलाईजा जाच से पुष्टि होने पर ही डेंगू पुष्टिकृत रोगी घोषित करेंगे, न कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के आधार पर। डेंगू पुष्टिकृत रोगी की सूचना, पूर्ण विवरण के साथ, तत्काल सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला वैक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित की जाय।

(पांच) यदि डेंगू के किसी संदिग्ध या पुष्टिकृत रोगी की सूचना सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एव जिला वैक्टर जनित रोग नियत्रण अधिकारी को नहीं दी जाती है तो निदानात्मक व निषेधात्मक प्रयासों में होने वाली देरी के लिए सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

13. डेंगू के सदिग्ध या पुष्टिकृत रोगी का प्रबन्धन भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है, जो कि राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियत्रण कार्यक्रम विभाग (NVBDCP), भारत सरकार की वेबसाइट www.nvbdcp.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

In pursuance of the Provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor, is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1038/XXVIII-3-2021-66/2010** dated, Dehradun September 24, 2021 for General Information.

NOTIFICATION

September 24, 2021

No. 1039/XXVIII-3-2021-66/2010-- Whereas, the State Government is satisfied that the State threatened with Dengue and Malaria.

And whereas, the State Government deemed that the ordinary provisions of the law in force are insufficient for that purposes and to prevent the outbreak of Dengue control and prevention and Malaria abolition, it is necessary to register every patient in time;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of Epidemic Diseases Act, 1897 (Central Act no. 03 of 1897), the Governor is pleased to make following regulations-

The Uttarakhand Epidemic Diseases (Malaria and Dengue) Regulations, 2021

Short title and Commencement

1.(1) These regulations may be called the Uttarakhand Epidemic Diseases (Malaria and Dengue) Regulations, **2021.**

(2) It Shall come into force at once and shall remain valid for two years from the date of publication of this notification

Definitions

2. In these regulations unless the contest otherwise requires:-

(i) "Epidemic Diseases" means rapid spread of infectious disease (e.g. Malaria and Dengue) to a large number of people in a given population within a short period of time.

(ii) "Passive Surveillance Centre" means any place which may be declared by the District Magistrate concerned in exercise of the powers conferred upon him to be a Passive Surveillance Centre, where a patient reports as a case of fever.

(iii) "Inspecting Officer" means a person appointed by the Director General, Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand or Chief medical officer of concerned district to be as Inspecting Officer.

(iv) "Medical Practitioner" means an allopathic doctor who has MBBS degree or equivalent qualification and also registered in Medical Council of Uttarakhand.

(v) "Rapid diagnostic Test (RDT)" means a technique to be used for rapid diagnosis of Malaria and Dengue.

(vi) "Artemisinin Combination Therapy (ACT)" means a medicine to be used for treatment of patient suffering from Plasmodium falciparum Malaria.

(vii) "Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)" technique means a technique to be used for confirmed diagnosis of dengue.

(viii) "Sentinel Surveillance Hospital (SSH)" means a hospital authorized by Government of India whereas testing and confirmation of dengue disease is done by ELISA technique.

(ix) Dengue Case-

(a) Probable Dengue Case- A patient having high grade fever lasting two to seven days along with two or more following symptoms- Headache, Retro-Orbital pain, Pain in Muscles, Joints Pain, Body rashes, bleeding from body parts like mouth, nose etc. or diagnosed by Non ELISA based NS1 antigen (Nonstructural Protein 1)/IgM (Immunoglobulins) Rapid diagnostic test.

(b) Confirmed Dengue Case – A patient confirmed dengue by ELISA technique.

(x) National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) means National programme governed by Government of India for prevention and control of vector borne diseases.

3. An Inspecting Officer, who is unavoidably prevented from discharging all or anyone of the functions, may by order in writing appoint any Officer of the level of Additional Chief Medical Officer/District Vector Borne Disease to discharge such functions. Every officer/official so appointed shall so far as such functions are concerned, be deemed for the purpose of these regulations to be an Inspecting Officer.

4. An Inspecting Officer may enter any premises for the purpose of fever surveillance, treatment, anti-larval measures, spray of Insecticides or fogging. He may also authorize other persons of his team to enter such premises along with him as he considers necessary.

5. An Inspecting Officer may put any question as he thinks fit in order to ascertain whether there is any reason to believe or suspect that such person is or may be suffering from Malaria or Dengue and such person shall give answer to him.

6. Whether as a result of such inspection or examination or otherwise, the Inspecting Officer considers that there is reason to believe or suspect that such person is or may be infected with Malaria or dengue, Inspecting Officer may direct such person to give his blood slide/blood sample for examination and to take such treatment as the Inspecting Officer may deem fit. In case of the minor, such order shall be directed to the guardians or any other adult member of the family of the minor.

7. The Inspecting Officer may order any premises to be sprayed with the insecticide or domestic water collection to be treated with suitable larvicides.

8. It is mandatory to the doctors of government health institutions and registered medical private practitioners of the private hospitals/ clinics to suspect each fever case as suspected malaria case during the transmission period (June to November month):
   (a) All the government health institutions shall test malaria by microscopic examination of blood slide prepared from the blood sample.
   (b) Private hospitals and laboratories should preferably do microscopic examination of blood slide for malaria testing. Wherever, Rapid Diagnostic Test (RDT) has to be used for malaria testing in a private hospital or laboratory it has to be Antigen based RDT and the same should be approved as per NIMR (National Institute of Malaria Research).
   (c) The private hospitals and laboratories using Antigen based RDT for malaria testing shall be responsible for sensitivity and specificity of the RDT.
   (d) Antibody based RDT is not recognized for malaria confirmation.

9. The information of the positive case of the malaria has to be sent to the nearest government health institution immediately after the diagnosis. The blood slide of the positive case should also be submitted to the District Vector Borne Disease Officer of the concerned district within seven (7) days.

10. The doctors in government health institutions and the registered medical private practitioners of the private hospitals/clinics should ensure the complete radical treatment of the malaria positive case with Chloroquine / Artemisinin Combination Therapy (ACT) along with Primaquine as per the drug policy of malaria issued by Government of India from time to time.

.(a) As per Government of India guidelines, single dose artemisinin should not be used for treatment of malaria. Artemisinin has to be used in combination for treatment of falciparum malaria.

11. It is mandatory to the doctors in government health institutions and the registered medical private practitioners of the private hospitals/clinics to immediately inform the Chief Medical Officer and District Vector Borne Disease Officer of the concerned district, if a suspected case of dengue is reported at their health institution.

12. The blood samples of all dengue suspected cases have to be sent at the sentinel surveillance hospital (SSH), established in the Government Health institution of the concerned district, to be tested by ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) technique.

(i) A suspected case of dengue has to be tested with NS1 Antigen ELISA technique, if the fever is of less than 5 days duration.

(ii) A suspected case of dengue has to be tested with IgM Mac Antibody ELISA technique, if the fever is of more than 5 days duration.

(iii) That the government of India, National Vector Borne Disease Control Programme, Ministry of Health and family welfare, Delhi has intimated vide D.O.No. 7-71/2014-15/NVBDCP/DEN/General/P-1, dated 23rd September, 2015 that the use of Rapid Diagnostic test kits for confirmation of Dengue is not recommended due to its low sensitivity and specificity.

(iv) Any suspected case of dengue should be declared dengue positive only after ELISA testing, not on the basis of Rapid Diagnostic test. The information of the positive case of the dengue with complete details should be sent immediately to the Chief Medical Officer and District Vector Borne Disease Officer.

(v) The incharge of the concerned hospital shall be responsible, if the information of a suspected or confirmed case of dengue is not sent to the Chief Medical Officer and District Vector Borne Disease Officer of the concerned district thus delaying the remedial preventive measures.

13. The management of the dengue suspected or confirmed cases need to be done as per the guidelines issued by the Government of the India from time to time and available on the website of the department of National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP), Government of India (www.nvbdcp.gov.in).

By Order,

Dr. PANKAJ KUMAR PANDEY,

Secretary.

चिकि. स्वा. एवं चिकि. शिक्षा अनुभाग–2

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या 817/XXVIII-2-2021-76/2015–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत भेषजिक (फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 35400–112400 पे–मैट्रिक्स लेवल–08 के पद पर मौलिक रूप से कार्यरत कार्मिक श्री एस0 पी0 चमोली को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरांत मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 56100–177500 पे–मैट्रिक्स लेवल–10 के रिक्त पद पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी को मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारी की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

27 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 2047/VII-A-1/2021/26अधिष्ठान/15–तत्काल प्रभाव से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अपर निदेशक वेतन लेवल 13 ₹123100–215900 (पूर्व वेतनमान ₹37,400–67,000 ग्रेड पे ₹8700) के रिक्त पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री राज्यपाल लेघा, संयुक्त निदेशक (खनन)/मुख्य खान अधिकारी को पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदोन्नति रिट याचिका सं0 03/एस0बी0/2017 दिनेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

कार्यालय ज्ञाप

27 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 875/XXVIII(5)/2021-08(मे0का0)/2019–उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गयी संस्तुति के आधार पर असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों पर अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति प्रदान की गयी। उक्त परीक्षा परिणाम में असिस्टेन्ट प्रोफेसर, आब्स एण्ड गायनी विभाग में औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी (डॉ0 सोनिका विश्वकर्मा) द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। तदोपरान्त बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार असिस्टेन्ट प्रोफेसर, आब्स एण्ड गायनी विभाग की प्रतीक्षा सूची (Merit Wise) के माध्यम से डॉ0 ओजस्वी शंकर के चयन की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी। उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या– 315/XXVIII(5)/2021–08(मे0का0)/2019 दिनांक 03 अप्रैल, 2020 द्वारा डॉ0 ओजस्वी शंकर की पदस्थापना राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के आब्स एण्ड गायनी विभाग में की गयी तथा उन्हे कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु 15 दिनों की समयावधि प्रदान की गयी।

2– संबंधित अभ्यर्थी द्वारा योगदान न दिये जाने के दृष्टिगत प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर द्वारा अपने पत्र संख्या–मे0का0श्री0/ अधि0/2020/1959 दिनांक 30 जुलाई, 2021 के माध्यम से भी डॉ0 ओजस्वी शंकर को 07 दिनों के भीतर संस्थान/ महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को सूचित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु डॉ0 ओजस्वी शंकर द्वारा न तो राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, देहरादून को अवगत कराया गया। 01 वर्ष से अधिक की समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त भी डॉ0 ओजस्वी शंकर द्वारा आतिथि तक राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में योगदान/कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

3– अतः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2384/चि0शि0/03(मेडिकल)/30/2019–21 दिनांक 08 सितम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में डॉ0 ओजस्वी शंकर का अभ्यर्थन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

21 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या 1527/XXXii-3-2021-37(02)/2018–तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित कार्मिक को नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के पद (वेतनमान–₹ 56100–177500 ग्रेड पे–₹ 5400, मैट्रिक्स लेवल–10) पर पदोन्नत करते हुये, उनकी वर्तमान तैनाती स्थल में ही कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	पदोन्नत पदनाम	वर्तमान/पदोन्नति के फलस्वरूप/तैनाती स्थल
1	2	3	4
1.	श्री त्रिलोक सिंह/व्यवस्थाधिकारी	वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी	राज्य अतिथिगृह लखनऊ।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिक को 02 वर्ष तक विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उक्तानुसार पदोन्नत कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी योगदान आख्या अपने तैनाती स्थल के प्रभारी अधिकारी के समक्ष तत्काल प्रस्तुत कर तद्नुसार सूचना राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

आज्ञा से,

प्रताप सिंह शाह,
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

पंचायतीराज अनुभाग–2

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

06 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 499/XII(2)/2021/90(35)2005टी.सी–श्री अरूण चन्द्र बड़थ्वाल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली, जिनकी जन्मतिथि अभिलेखानुसार दिनांक 25.10.1961 है, की 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु दिनांक 31.10.2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप नियमानुसार श्री अरूण चन्द्र बड़थ्वाल, दिनांक 31.10.2021 की अपराह्न से जिला पंचायत की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

ओमकार सिंह,
संयुक्त सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

16 अगस्त 2021 ई0

संख्या 718 / XXXI(4) / 2021–06(विविध) / 2015–III–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपर निजी सचिव वेतनमान रू. 47600–151100 पे–मैट्रिक्स लेवल–8 को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान रू. 56100–177500 पे–मैट्रिक्स लेवल–10 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. श्रीमती निशा रानी
2. श्री मनीष बिष्ट
3. श्री वेद प्रकाश टम्टा
4. श्रीमती रीना शाही
5. श्री मुस्तकीम अहमद

2– उक्त कार्मिकों को पदोन्नति के फलस्वरूप निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3– उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

4– संबंधित कार्मिकों की उपरोक्तानुसार पदोन्नति श्री लाल सिंह नागरकोटी, निजी सचिव (तदर्थ) के प्रकरण में मा0 सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

5– उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते है तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित / परिमार्जित किया जायेगा।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 सितम्बर 2021 ई0

संख्या 756 / XXXI(4) / 2021–06(विविध) / 2015–III–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री जयराम सिंह, निजी सचिव वेतनमान रू. 56100–177 पे–मैट्रिक्स लेवल–10 को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान रू0 67700–208700 पे–मैट्रिक्स लेवल–11 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

2– पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति के फलस्वरूप वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3– उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

4– संबंधित कार्मिक की उपरोक्तानुसार पदोन्नति श्री लाल सिंह नागरकोटी, निजी सचिव (तदर्थ) के प्रकरण में मा0 सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

5— उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते है तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित/परिमार्जित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 सितम्बर 2021 ई0

संख्या 757/XXXI(4)/2021—06(विविध)/2015—III—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री सखावत हुसैन, अपर निजी सचिव वेतनमान रू. 47600—151100 पे—मैट्रिक्स लेवल—8 को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान रू. 56100—177500 पे—मैट्रिक्स लेवल—10 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

2— पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति के फलस्वरूप निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3— उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

4— संबंधित कार्मिक की उपरोक्तानुसार पदोन्नति श्री लाल सिंह नागरकोटी, निजी सचिव (तदर्थ) के प्रकरण में मा0 सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

5— उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते है तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित/परिमार्जित किया जायेगा।

आज्ञा से,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी)।

शहरी विकास अनुभाग—03

अधिसूचना

29 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 1515/IV(3)/2021-11(04निर्वा0)2017—उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2007) की धारा—11क एवं 11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत सेलाकुई (सेन्द्रल होप टाउन) क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं:—

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर पंचायत क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में उल्लिखित किया गया है।

आज्ञा से,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/505—भाग 1—2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 ई0 (अग्रहायण 20, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल

भूमि अर्जन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना (अनुपूरक)

22 नवम्बर, 2021 ई0

परियोजना का नाम–उत्तराखण्ड राज्य में 126 किमी0 ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

संख्या– 287/आठ–भू0अ0(2020–21) पौड़ी–उत्तराखण्ड राज्य में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन के निर्माण के लिए पौड़ी जिले के अन्तर्गत ग्राम श्रीकोट गंगानाली की 0.740 है0 निजी नाप भूमि का अर्जन "भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2014 के अन्तर्गत किया गया है।

ग्राम श्रीकोट गंगानाली में पूर्व अर्जित क्षेत्रफल 0.740 है0 के अतिरिक्त ग्राम श्रीकोट गंगानाली में रेल लाईन परियोजना के संरेखण के अन्तर्गत स्थित खसरा संख्या 2090/1 क्षेत्रफल 0.011 है0 अतिरिक्त निजी नाप भूमि का अनुपूरक भू–अर्जन प्रस्ताव रेल विकास निगम लि0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित नाप भूमि (संरचना सहित या उसके बिना) जिसका अर्जन भारतीय रेल (भारत सरकार) के नाम पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2014 के अन्तर्गत किया जाना है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का स्थल निरीक्षण राजस्व विभाग, तहसील श्रीनगर गढ़वाल एव रेल विकास निगम लि0 के संबंधित कार्मिकों के द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	ख0 खा0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (है0में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
							उ0	द0	पू0	प0	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	72	2090/1	निजी नाप भूमि	कृषि	0011	राजेन्द्र गैरोला पुत्र हीराबल्लभ	2092	2089	2088	2097	–	–	–	

यह अधिसूचना इससे संबधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा–11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी है।

भूमि से संबधित रेखांकन कलक्टर के कार्यालय में और रेल विकास निगम श्रीकोट के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट राजस्व एवं अर्जन निकाय के अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य में उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात, क्रय–विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो स्वयं उपस्थित होकर या बजरिये अधिवक्ता के माध्यम से फाईल किये जा सकेगें।

स्थान–पौड़ी।

दिनांक 22.11.2021

डा0 विजय कुमार जोगदण्डे,

कलेक्टर, गढवाल।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

21 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 888/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UP07G-1987 HGV मॉडल 1997 चैचिस 360093ASQ102775 इंजन न0 697D24ASQ104538 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन अगजद हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी–मकान संख्या 141 मनिहारगोठ पोस्ट–टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत हैं, दिनांक 08/10/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 21.10.2021 को वाहन संख्या UP07G-1987 HGV मॉडल 1997 चैचिस 360093ASQ102775 इंजन न0 697D24ASQ104538 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

22 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 898/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA034180 HGV मॉडल 2006 चैचिस 89VFJ55266P इंजन न0 B344910SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री मनोज सिंह देउपा श्री त्रिलोक सिंह निवासी–ग्राम पो. विरियामझौला तह. खटीमा उधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत हैं, दिनांक 14/10/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 22.10.2021 को वाहन संख्या UA034180 HGV मॉडल 2006 चैचिस 89VFJ55266P इंजन न0 B344910SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

22 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 906/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UP29-0963 HGV मॉडल 1990 चैचिस 88VFJ50658P इंजन न0 B80255SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामिनी श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री जोगा सिंह निवासी–नायकगोठ टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत हैं, दिनांक 13/10/2021 को वाहन स्वामीनी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 22.10.2021 को वाहन संख्या UP29-0963 HGV मॉडल 1990 चैचिस 88VFJ50658P इंजन न0 B80255SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

26 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 923/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA05-4783 MGV मॉडल 2006 चैचिस 140333 इंजन न0 146408 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री राम किशन पुत्र श्री सिया राम निवासी–मकान संख्या 591 खटीमा ग्रामीण आंशिक खटीमा उधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत हैं, दिनांक 25/10/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.10.2021 को वाहन संख्या UA05-4783 MGV मॉडल 2006 चैचिस 140333 इंजन न0 146408 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

26 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 926/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA05-4244 MAXI CAB मॉडल 2006 चैचिस 53M98546 इंजन न0 GA54M75156 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री गुमान सिंह पुत्र श्री अनुप सिंह उचौलीगोठ टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत हैं, दिनांक 16/08/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.10.2021 को वाहन संख्या UA05-4244 MAXI CAB मॉडल 2006 चैचिस 53M98546 इंजन न0 GA54M75156 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

26 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 927/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UK06CA8491 HGV मॉडल 2004 चैचिस 373141LVZ138640 इंजन न0 127869 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री अमित कुमार श्री उदय प्रकाश सिंह निवासी–वार्ड न.03 बेराज रोड़ शारदा स्टोन क्रैशर टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत हैं, दिनांक 13/10/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.10.2021 को वाहन संख्या UK06CA8491 HGV मॉडल 2004 चैचिस 373141LVZ138640 इंजन न0 127869 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/505–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 ई0 (अग्रहायण 20, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाण–पत्रों में मेरा नाम त्रुटिवश एलम सिंह दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम एलम सिंह रावत है। भविष्य में मुझे एलम सिंह रावत पुत्र फगन सिंह के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

एलम सिंह रावत पुत्र फगन सिंह
निवासी 245, टाईप–2 सेक्टर–1,
बी0एच0ई0एल0 रानीपुर, हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत सतपुली, पौडी गढवाल

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2019

आंशिक संसोधन

09 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक संख्या 115/न0पं0सतपुली/2021–22–2–(1) इच्छुक ठेकेदार भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत सतपुली का निवासरत हो का प्रमाण पत्र देना होगा। नगर क्षेत्र की ही चल अचल सम्पति का ही हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठेकेदार को परिवार रजिस्टर/बिजली/पानी आदि का बिल नगर पंचायत सतपुली का होना चाहिए।

(4) प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु एक वितीय वर्ष में 75.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे।

(5) द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु एक वितीय वर्ष मे 25.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।

7- निर्माण के सम्पादन की सीमाः-

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः-

(1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमिते धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होगे।

(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 20.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

ह0 अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सतपुली।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/505–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।